

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या ००/२०२५ शीर्षक सरकार बनाम दुगाना

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
--------	-----------------	---------------------

24-10-2024

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28-11-2024 को पेश हो।

हस्ताक्षर शीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

28-11-2024

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/12/2024 को पेश हो।

हस्ताक्षर शीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

26/12/2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। आज भी अधिवक्ता अ-रूपान्तरण आदेश की प्रति पेश करने हेतु समझ-घाबे हो करुण दिनांक जाता है पत्रावली वाले अ-रूपान्तरण आदेश दिनांक 19/10/2025 को पेश हो।

19/02/2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। मूपाधी सं 01 व 02 को अ-रूपान्तरण करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया किन्तु मूपाधी सं 01 व 02 द्वारा अभी अ-रूपान्तरण नहीं कराई गई। मूपाधी प्रेरितार सरकार में बहल हेतु निवेदन किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। बहल पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः मूपाधी प्रेरितार सरकार का प्रथम पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कोशकारी भाषा का अधिकार किया जाकर नाम करालीया पठ सं 01 व 02 को पेश हो।

बलौली डेकाठ के भा.नं. 1056 रकबा
0.3500 हेक्टर जमी के वर्तमान भा.नं.
एच.रि.नं. की पञ्चायती मूल साधना फस
के निस्तारण नक बनाए रखने हेतु
अर्थात् एच. 01 व 02 को पांखड़ किया
गया है। पञ्चायती केवल अंशुमार के नम्बर
से रकम की जाएगी।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द